

अप्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता

क्रिमिनल अपील सं. 602 वर्ष 2019

(विशेष अनुमति याचिका (क्रि.) सं. 8074 वर्ष 2018 से उद्धृत)

तबरेज खान @ गुड्डू एवं अन्य

..... अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे

1. अनुमति प्रदान की गई ।

2. यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र सं. 3514 वर्ष 2018 में दिए गए 06.02.2018 दिनांकित अंतिम निर्णय व आदेश के विरुद्ध दायर की गई है । जिसमें उच्च न्यायालय ने मुकदमा सं. 3065 वर्ष 2016 तथा 10.03.2017 दिनांकित ए. सी. जे. एम. , कोर्ट सं. 8, वाराणसी द्वारा उपरोक्त मामले में दिए गए समन के आदेश को रद्द करने से इन्कार कर दिया ।

3. इस अपील के निस्तारण के लिए कुछ तथ्यों का उल्लेख आवश्यक है, जिसमें संक्षिप्त बिन्दु शामिल हैं ।

4. प्रत्यर्थी सं. 2 का विवाह वर्ष 2000 में मोहम्मद परवेज से हुआ था । अपीलार्थी सं. 3 मोहम्मद परवेज की मां है और प्रत्यर्थी सं. 2 की सास है । अपीलार्थी सं. 1 और 2 मोहम्मद परवेज के भाई हैं और प्रत्यर्थी सं. 2 के देवर हैं ।

5. प्रत्यर्थी सं. 2 ने अपीलार्थीगण और अपने पति मोहम्मद परवेज के खिलाफ ए.सी.जे. एम. , कोर्ट सं. 8 , वाराणसी के न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया है। जिसमें अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 के साथ भारतीय दण्ड संहिता 1860 ( एतच्चिन्पश्चात् " भा दं सं "

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

के रूप में सन्दर्भित) की धारा 498 क, 323, 504, 506 सपठित धारा 3/4 डी.पी. एक्ट के अन्तर्गत अपराध कारित किए जाने की शिकायत की गई है। मामला अभी लम्बित है।

6. उक्त परिवाद का समन प्राप्त होने पर अपीलार्थीगण ने व्यथित होकर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में " दं प्र सं " से सन्दर्भित) की धारा 482 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया और परिवाद को उनको परिवाद का समन जारी करने के आदेश को रद्द करने की मांग की।

7. आक्षेपित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने उपरोक्त मामले में मुकदमा सं. 3065 वर्ष 2016 और ए.सी.जे.एम. कोर्ट सं. 8, वाराणसी द्वारा 10.03.2017 दिनांकित समन करने के आदेश को रद्द करने से इन्कार कर दिया। जिससे अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से इस अपील का दायर किया जाना उद्धृत हुआ है।

8. अतः संक्षिप्त प्रश्न जो इस अपील में विचार के लिए उठता है वह यह है, कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण द्वारा दं प्र सं की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र को नामंजूर करना न्यायोचित था।

9. अपीलार्थीगण के विद्वत अधिवक्ता श्री अमित पवन और प्रत्यर्थी सं. 1- राज्य, की ओर से विद्वत अपर महाधिवक्ता श्री विनोद दिवाकर को सुना। प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से समन देने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ।

10. अपीलार्थीगण और प्रत्यर्थी सं. 1 के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और मामले के रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् हम इस अपील को अनुमति देने के हामी हैं और आक्षेपित आदेश को अपास्त करते हैं, दं प्र सं की धारा 482 के अन्तर्गत अपीलार्थीगण की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र को स्वीकृति प्रदान करते हैं और प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से दाखिल उपरोक्त परिवाद को जहां तक कि यह अपीलार्थीगण से सम्बन्धित है, रद्द करते हैं।

11. हमने परिवाद में किए गए प्रकथनों को देखा और इसके अवलोकन के पश्चात्, अपीलार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही न्यायोचित नहीं प्रतीत होती।

12. दूसरे शब्दों में, हमारी दृष्टि में अपीलार्थीगण के विरुद्ध साथ-साथ या सामूहिक कार्यवाही का परिवाद में उनके विरुद्ध आरोपित अपराधों के लिए कोई औचित्य या / और प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं दिखता। वास्तव में परिवाद में अपीलार्थीगण के विरुद्ध बताए गए तथ्यों से उनके विरुद्ध यथा आरोपित कोई मामला नहीं बनता।

### उद्घोषणा

*"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"*

13. पूर्वगामी बहस के दृष्टिगत अपील सफल है और तद्रूप स्वीकृत की जाती है ।  
आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है । परिणामस्वरूप , प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा  
अपीलार्थीगण के विरुद्ध दायर परिवाद को एतद्वारा निरस्त किया जाता है ।

14. हालांकि हम यह स्पष्ट कर देते हैं, कि मोहम्मद परवेज खान- प्रत्यर्थी सं. 2 के पति  
के रूप में, का परिवाद इस न्यायालय द्वारा किए गये अवलोकनों से अप्रभावित रहकर विधि  
के अनुसार संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा गुणागुण के आधार पर किया जाएगा क्योंकि हमने  
प्रत्यर्थी सं. 2 के मामले की उसका पति होने के कारण, परीक्षण नहीं किया है जो कि न तो  
इन कार्यवाहियों में एक पक्ष है और न ही उसने स्वयं के विरुद्ध दायर परिवाद को चुनौती  
देने वाली कोई याचिका दायर की है ।

.....

(न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे)

.....

(न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी)

नई दिल्ली;

अप्रैल 05, 2019

#### उद्घोषणा

*“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निबिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।*